ICICI Bank

एनबीसीसी प्लेस प्रगति विहार, नई दिल्ली – 110003
पंजीकृत कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक टॉवर, निकट चकली सर्किल, पुराना पाडरा मार्ग, वडोदरा, गुजरात, पिन – 390 007
निगमित कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टॉवर्स, बांद्रा–कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पू.), मुम्बई – 400 051

सार्वजनिक सूचना – प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए निविदा–सह–नीलामी

वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विक्रय

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (**''आईसीआईसीआई बैंक''**) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (**''अधिनियम''**) के अन्तर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (**''नियमावली''**) के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पीडी मेमोरियल रिलीजियस ऐंड एजुकेशनल एसोसिएसन (**''उधारकर्ता'' अथवा ''बन्धककर्ता–I''**), अमी प्रभु रिलीजियस ऐंड ऐजुकेशनल एसोसिएसन (**''बन्धककर्ता–II''**), श्रीमती विमला सिंह लाथर (**''गारंटर–I''**), श्री बिजेन्द्र सिंह लाथर (**''गारंटर–III'' अथवा ''बन्धककर्ता–III''**), श्रीमती शांति देवी (**''बन्धककर्ता–IV''**), श्री जोगिन्दर सिंह लाथर (**''गारंटर–II'' अथवा ''बन्धककर्ता–V''**) तथा श्रीमती सुमित्रा देवी (**''बन्धककर्ता–VI''**) को 27 फरवरी 2017 को एक सांविधिक मांग सूचना जारी की थी, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान/वसूलीकरण होने तक चक्रवृद्धि के आधार पर संविदात्मक दरों पर 31 जनवरी 2017 के अनुसार उक्त सूचना में वर्णित राशि रु. 32,14,16,503.00 का 1 फरवरी 2017 से प्रभावी उस पर लागू भावी ब्याज तथा अन्य प्रभारों के साथ प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। इसके अतिरिक्त, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी ने नियमावली के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग सूचना दिनांकित 8 फरवरी 2018 के माध्यम से उधारकर्ता और अन्य भुगतान दायित्व धारकों से मांग की थी कि वे उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि 60 दिनों के अंदर रु. 27,53,31,536.72 की राशि का आगे ब्याज के साथ प्रतिभुगतान करें। इसी प्रकार केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी सांविधिक मांग सूचना दिनांकित 6 मार्च 2017 के माध्यम से उधारकर्ता तथा अन्य गारंटरों से मांग की थी कि वे उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर रु. 31,63,66,365.00 की राशि का आगे ब्याज के साथ प्रतिभुगतान करें।

कि माननीय जिलाधिकारी, झज्जर के आदेश दिनांकित 7 सितंबर 2018 के अनुपालन के अन्तर्गत तहसीलदार बहादुरगढ़ ने प्रतिभूत परिसम्पत्ति (निम्न परिभाषितानुसार) का भौतिक कब्जा ग्रहण कर लिया है और उसे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के साथ–साथ अन्य स्वीकृति प्राप्त बैंकों जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक की ओर से कार्य कर रहे आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के सुपुर्द कर दिया है।

एतद्द्वारा निम्नलिखित विवरणों के अनुसार ''जैसी है जहां है आधार'', ''जैसी है जो है आधार'', ''जो कुछ वहां है आधार'' और ''बिना उपाय आधार'' पर आईसीआईसीआई बैंक के कब्जे में रखी गई निम्नलिखित प्रतिभूत परिसम्पत्ति के विक्रयार्थ 11–02–2019 को सायं 5.00 बजे से पूर्व इच्छुक व्यक्तियों/प्रतिभागियों से वेब पोर्टल http://www.easybidsolutions.com के माध्यम से हमारे ई–नीलामी सेवा प्रदाता मै. ईजी बिड सोल्यूशन्स प्रा. लि. द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत किए जानेवाले ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं :

अनुसूची

लॉट सं.	अचल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. में)	धरोहर राशि जमा (''धराज'') (रु. में)	बोली वृद्धि मूल्य (रु. में)	निरीक्षण तिथि तथा समय	ई–नीलामी तिथि तथा समय	धराज जमा करने की अंतिम तिथि
1.	पीडी मेमोरियल रिलीजियस ऐंड एजुकेशनल एसोसिएसन/उधारकर्ता/बन्धककर्ता–I के नाम में सेक्टर–2, बहादुरगढ़ (झज्जर), हरियाणा में सम्पत्ति भूखण्ड सं. हाई स्कूल स्थल, अधिमापन 22,405 वर्ग मीटर उस पर निर्मित समस्त भवनों तथा संरचनाओं, फिक्सचर्स, फिटिंग्स और भूखण्ड से सम्बद्ध समस्त संयंत्र और मशीनरी अथवा भूखण्ड से सम्बद्ध किसी भी वस्तु के साथ स्थायी रूप में जुड़ा हुआ, वर्तमान तथा भावी दोनों, (प्रतिभूत परिसम्पत्ति)	रु. 25,00,00,000/–	रु. 2,50,00,000/–	रु. 10,00,000/–	28 जनवरी, 2019 को 11.00 बजे से 05.00 बजे	13 फरवरी, 2019 को 10.00 बजे से 12.00 बजे के बीच	11 फरवरी, 2019 को 5 बजे तक

नियम तथा शर्तें :–

(1) और जबकि, आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति को निपटा देने का निर्णय कर लिया है तो इसीलिए आज विक्रय की यह सूचना प्रकाशित की जा रही है कि प्रतिभूति परिसम्पत्ति, जैसाकि उपरोक्त अनुसूची में विवरणित है, का विक्रय 13 फरवरी, 2019 को **(उपर्युक्त वर्णित तालिका में वर्णितानुसार समय के बीच)** ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से किया जाएगा।

(2) ऑनलाइन नीलामी 13 फरवरी, 2019 को 10.00 बजे से 12.00 बजे के बीच नीलामी अभिकरण की वेबसाइट अर्थात् http://www.easybidsolutions.com पर की जाएगी। ऑनलाइन नीलामी का संचालन **मैसर्स ईजी बिड सोल्यूशन्स प्रा. लि.** के माध्यम से किया जाएगा तथा निविदा प्रलेख में समाविष्ट नियमों तथा शर्तों के अधीन होगा, जो कि नीलामी अभिकरण की वेबसाइट अर्थात् **http://www.easybidsolutions.com** पर उपलब्ध है।

(3) बन्धककर्ता/गारंटरों/उधारकर्ता को विशेषतः तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सावधान और निरुद्ध किया जाता है कि वे उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अन्तर्गत उपरोक्त विवरणितानुसार प्रतिभूत परिसम्पत्ति का किसी भी प्रकार का लेन–देन न करें और प्रतिभूत परिसम्पत्ति का कोई भी लेन–देन निर्धारित धनराशियों तथा उन पर भावी ब्याज हेतु आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तथा केनरा बैंक के प्रभाराधीन होगा।

(4) उधारकर्ता/बन्धककर्तागण/गारंटरगणों का प्रतिभूत परिसम्पत्ति का मोचन करने हेतु उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर ध्यानाकर्षण कराया जाता है।

(5) रु. 25,000,000.00 की एक राशि की धरोहर राशि जमा (''ईएमडी'') तथा निविदा प्रलेख **''आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तथा केनरा बैंक के पक्ष में बंधक तथा पीडी मेमोरियल रिलीजियस ऐंड ऐजुकेशनल एसोसिएसन के स्वामित्वधारण में बहादुरगढ़ हरियाणा में अवस्थित अचल सम्पत्ति के क्रयार्थ श्री/सुश्री/मै. ....से प्रस्ताव''** शीर्षांकित एक मोहरबंद लिफाफे में डालकर **11 फरवरी, 2019** को सायं 5.00 बजे अथवा इससे पूर्व इस प्रकार जमा किए जाने चाहिए ताकि ये श्री मनीष गोयल/सुश्री लवप्रीत कौर के पास आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, नई दिल्ली–110003 के पास सुरक्षित तरीके से पहुंच जाएं। ईएमडी का डीडी/पीओ ''आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड'' के पक्ष में दिल्ली में भुगतेय किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गमित किया गया होना चाहिए। यदि बोली असफल होती है तो धराज अप्रतिदेय है।

(6) सफल बोलीदाता को आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी से विक्रय अभिपुष्टि की प्राप्ति पर उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस तक, जैसा कि मामला हो, तत्काल प्रभाव से ईएमडी के रूप में भुगतान की गई राशि को घटाकर प्रस्ताव राशि की 25 प्रतिशत रकम का भुगतान करना होगा तथा शेष 75 प्रतिशत और अंतिम राशि का भुगतान प्रतिभूत परिसम्पत्ति के विक्रय की अभिपुष्टि की तिथि से 15वें दिन अथवा इससे पूर्व, ऐसे दिवस को छोड़कर, अथवा यदि 15वें दिन रविवार अथवा अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के उपरान्त प्रथम कार्यदिवस पर अथवा क्रेता और प्रतिभूत ऋणदाता (ऋणदाताओं) के मध्य लिखित में हुए समझौते के अनुसार ऐसी किसी विस्तारित अवधि के अंदर करना होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में ऐसी तिथि या अवधि प्रतिभूत परिसम्पत्ति के विक्रय की अभिपुष्टि की तिथि से तीन माह से अधिक न हो। सफल बोलीदाता की ओर से किसी चूक की स्थिति में तब तक जमा की गईं समस्त धनराशियां, ईएमडी की रकम सहित, जब्त कर ली जाएंगी। भुगतान आदेश/डिमांड ड्राफ्ट ''आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड'' के पक्ष में दिल्ली में भुगतेय किसी अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक पर आहरित होना चाहिए। आय कर नियमावली के अनुसार यदि क्रय मूल्य रु. 5,000,000.00 से अधिक है तो सफल नीलामी क्रेता को नीलामी मूल्य के 1 प्रतिशत की दर से टीडीएस का भुगतान करना होगा।

(7) यहां इसमें उपरोक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिभूत परिसम्पत्ति के संदर्भ में प्रस्तुत विवरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार उल्लिखित किए गए हैं, जो हालांकि उक्त विवरणों में हुई किसी गलती, गलत–विवरण अथवा चूक हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। अतः निविदादाताओं/प्रस्तावकों/प्रस्तावित बोलीदाताओं/क्रेताओं को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विक्रय सांविधिक प्राधिकरण (प्राधिकरणों) (यदि कोई हों) को भुगतेय भारग्रस्तताओं तथा देयराशियों के साथ किया जाएगा तथा उनसे उनके स्वयं के हित में अनुरोध किया जाता है कि वे निविदाएं जमा करने से पूर्व उपरोक्त तथा ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्ति से संबंधित अन्य सुसंगत विवरणों के संदर्भ में अपने आप/स्वयं को संतुष्ट कर लें।

(8) निरीक्षण, नीलामी के नियमों तथा शर्तों अथवा निविदाओं को जमा करने के संदर्भ में किसी अन्य स्पष्टीकरण हेतु कृपया श्री मनीष गोयल/सुश्री लवप्रीत कौर, प्राधिकृत अधिकारी आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड को सम्पर्क सं. +91 11 4221 8357/ +91 11 4221 8413 पर सम्पर्क करें अथवा manish.goel@icicibank.com / lovepreet.kaur@icicibank.com पर लिखें या ईजी बिड सोल्यूशन्स : 9654980563, 9654980564, 9810216124, info@easybidsolutions.com से सम्पर्क करें।

(9) प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई भावी सूचना दिए अथवा बिना कारण बताए किसी भी अथवा समस्त बोलियों को स्वीकार अथवा नीलामी को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(10) कोई सांविधिक तथा अन्य देयराशियां जो कि प्रतिभूत परिसम्पत्ति पर भुगतेय तथा बकाया हैं, लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उनके भुगतान का वहन सफल क्रेता को करना होगा।

(11) यह उपरोक्त खाता के उधारकर्ता/गारंटर (गारंटरों)/बन्धककर्ता (बन्धककर्ताओं) हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 30 दिनों की एक अनिवार्य सूचना भी है, जिसमें उन्हें उपर्युक्त तिथियों पर बन्धक परिसम्पत्तियों के विक्रय के संबंध में सूचित किया जा रहा है।

दिनांक : 28 दिसम्बर 2018
स्थान : बहादुरगढ़, हरियाणा

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड